



भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE, JAMMU

संयोजक : सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, नहर मार्ग, जम्मू तवी-180 001 (भारत)

CONVENOR: CSIR- Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu Tawi – 180 001 (INDIA)

दूरभाष : (0191) 2585006-13; फ़ैक्स (0191) 2586333, 2585026. Phones : (0191) 2585006-13; Fax : (0191) 2586333, 2585026.

E-mail: hindi.iiim@iiim.res.in; Website www.tolicjammu.org



नराकास/जम्मू/बैठक/2020-21/राभा.

16.12.2020

संख्या/No:

दिनांक/Dated:

कार्यालय:- सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान (आइ.आइ.आइ.एम.), नहर मार्ग, जम्मू-180001

सेवा में,

नराकास, जम्मू के केन्द्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक।

विषय:- दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को हुई नराकास, जम्मू की ऑनलाइन बैठक के कार्यवृत्त।

Subject:- Minutes of the TOLIC, Jammu online meeting held on 24 November, 2020.

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की ऑनलाइन बैठक दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को दोपहर 12.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कृपया बैठक में लिए गये निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं।

कार्यवृत्त पर यदि किसी सदस्य को कोई सुझाव देना हो अथवा उनकी आपत्ति हो तो वह अपने सुझाव कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

Sir/Madam,

The minutes of the online meeting of 'Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Jammu' held on 24 November, 2020 at 12.00 hrs in the are enclosed herewith. You are requested to take necessary actions on the decisions taken in the said meeting accordingly.

Objections/Suggestions, if any, may please be intimated to this office within two weeks.

धन्यवाद/Thank you,

भवदीय,

16/12/2020

(संजय शर्मा)

सदस्य-सचिव

संलग्न:- यथावर्णित बैठक के कार्यवृत्त।

प्रति:-

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू के कार्यालय प्रमुख।
2. उपनिदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय-1 (दिल्ली), ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-01
4. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
- 5- भारत की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

संख्या: नराकास/जम्मू/बैठक/2020-21/राभा.

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू कार्यालय की जून/नवम्बर की अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को दोपहर 12.00 बाते ऑनलाइन सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त इस प्रकार से है:-

बैठक की अध्यक्षता संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री रजनीश आनन्द ने की। इस अवसर पर डॉ. नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली तथा श्री संतोष कुमार, सहायक निदेशक (टं/आ), हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गंग्याल, जम्मू से ऑनलाइन उपस्थित हुए। बैठक में श्री पंकज बहादुर, नियंत्रक प्रशासन, भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू एवं नराकास के केन्द्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण भी ऑनलाइन उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित कार्यालय प्रमुखों एवं अधिकारियों का स्वागत श्री संजय शर्मा, कार्यवाहक हिन्दी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, नराकास, जम्मू ने किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ ही अर्धवार्षिक बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई। सदस्य-सचिव ने गत बैठक के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति एवं प्रतिक्रिया न मिलने पर अध्यक्ष महोदय के अनुमति एवं सर्वसम्मति से गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ऑनलाइन की।

तदुपरान्त सदस्य-सचिव द्वारा प्रथम अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तथा प्रथम अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा का ब्यौरा सदस्यों के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की स्थिति इस प्रकार है:-

पहली अर्धवार्षिक बैठक प्रथम अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की दोनों तिमाही प्रगति रिपोर्टें

- | | |
|--|--|
| 1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख, जम्मू | 4. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र,
मीरासाहिब, जम्मू |
| 2. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.),
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख, जम्मू | 5. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र,
के.रि.पु. बल, हीरानगर (नगरोटा स्थापित),
जम्मू |
| 3. कार्यालय छवानी परिषद, सतवारी, जम्मू | |

संजय

6. 23 विंग वायु सेना द्वारा 56 सेना डाकघर
7. रेशम तकनीकी सेवा केन्द्र रेशम
प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय
रेशम बोर्ड, मीरासाहिब, जम्मू
8. कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, उत्तरी
कमान, नरवाल पाई, सतवारी, जम्मू
9. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय,
गाँधी नगर, जम्मू
10. भारतीय समवेत औषध संस्थान, केनाल
रोड, जम्मू
11. कैंटीन भंडार विभाग, क्षेत्रीय डिपो,
बी.डी.बाड़ी, बड़ी बराहमणा, जम्मू
12. लेखा कार्यालय (पी.), सम्पर्क द्वारा
56 सेना डाकघर
13. निदेशालय, रक्षा संपदा, उत्तरी कमान,
डाकघर सतवारी, जम्मू छावनी
14. केन्द्रीय विद्यालय, नगरोटा, जम्मू
15. क्षेत्रीय आयुर्वेदीय मूत्रविकार अनुसंधान
संस्थान, राजेंदर नगर, बनतालाब, जम्मू
16. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, पश्चिमी
हिमालय, क्षेत्रीय केन्द्र, जम्मू
17. केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र,
नानक नगर, जम्मू
18. राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, जम्मू
19. अपर मंडल रेल प्रबंधक, उत्तरी रेलवे,
जम्मू तवी
20. रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू-कश्मीर, जम्मू
21. प्रसार भारती, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
22. कार्यालय कमांडेंट-166 बटालियन, केन्द्रीय
रिजर्व पुलिस बल, न्यू.पी.सी.आर. कैम्प,
सिदडा, जम्मू
23. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, क्षेत्रीय संकाय
प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
24. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र,
गाँधी नगर, जम्मू
25. कार्यालय क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), गाँधी
नगर, जम्मू
26. जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राया-सुचेनी,
सांबा, जम्मू
27. केन्द्रीय विद्यालय, नगरोटा, जम्मू
28. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक,
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, बनतालाब, जम्मू

पहली अर्धवार्षिक बैठक प्रथम अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक की दोनों तिमाही प्रगति रिपोर्टें

1. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र,
के.रि.पु. बल, हीरानगर (नगरोटा स्थापित),
जम्मू
2. निदेशालय, रक्षा संपदा, उत्तरी कमान,
डाकघर सतवारी, जम्मू छावनी
3. रेशम तकनीकी सेवा केन्द्र रेशम
प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय
रेशम बोर्ड, मीरासाहिब, जम्मू
4. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, क्षेत्रीय संकाय
प्रभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
5. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व
हकदारी), जम्मू व कश्मीर और लद्दाख, जम्मू
6. भारतीय समवेत औषध संस्थान, केनाल रोड,
जम्मू
7. कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, उत्तरी
कमान, नरवाल पाई, सतवारी, जम्मू

संजय

8. कैंटीन भंडार विभाग, क्षेत्रीय डिपो, बी.डी.बाड़ी, बड़ी बराहमणा, जम्मू
9. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मीरासाहिब, जम्मू
10. कार्यालय क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), गाँधी नगर, जम्मू
11. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गाँधी नगर, जम्मू
12. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, पश्चिमी हिमालय, क्षेत्रीय केन्द्र, जम्मू
13. क्षेत्रीय आयुर्वेदीय मूत्रविकार अनुसंधान संस्थान, राजेंदर नगर, बनतालाब, जम्मू
14. कार्यालय छवानी परिषद, सतवारी, जम्मू
15. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जम्मू व कश्मीर और लद्दाख, जम्मू
16. प्रसार भारती, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
17. जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राया-सुचेनी, सांबा, जम्मू
18. 23 विंग वायु सेना द्वारा 56 सेना डाकघर
19. कार्यालय मुख्य डाक महाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर परिमंडल, जम्मू
20. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, गाँधी नगर, जम्मू
21. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मध्यम विकास संस्थान, डिगियाना, जम्मू
22. रेलवे भर्ती बोर्ड, जम्मू-कश्मीर, जम्मू
23. केन्द्रीय विद्यालय, नगरोटा, जम्मू
24. कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, के.रि.पु. बल, बन तालाब, जम्मू
25. कार्यालय कमांडेंट-166 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, न्यू.पी.सी.आर कैम्प, सिदडा, जम्मू

मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान कार्रवाई सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से सदस्यों को निम्नलिखित जानकारी ऑनलाइन दी ।

1. लगभग सभी कार्यालयों में धारा 3(3) का अनुपालन शत-प्रतिशत किया जा रहा है । चर्चा के दौरान इस पर बल दिया गया कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना अनिवार्य है ताकि मूल पत्राचार के न्यूनतम लक्ष्य आवश्यक रूप से प्राप्त किया जा सके ।
2. कार्यालयों में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाकर लक्ष्य की प्राप्ति करना जरूरी है। इस सन्दर्भ में यह यह सूचना भी साझा की गई की अगला प्रशिक्षण सत्र फरवरी, 2021 से होना तय हुआ है।
3. सभी सदस्य कार्यालय प्रत्येक तिमाही में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं।
4. नराकास, जम्मू द्वारा 'ज्ञानवार्ता' गृह पत्रिका का प्रकाशन उचित मात्रा में लेख, कविताएं व कहानियाँ प्राप्त न होने के कारण इस बार प्रकाशित नहीं किया जा सका है।

संजय

5. नराकास के सदस्य-कार्यालयों से यह भी अनुरोध किया गया कि हिन्दी से संबंधित रिक्त पड़े पदों को शीघ्र कार्यवाही कर भर लेना अनिवार्य है ।
6. सदस्य-सचिव ने प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा समीक्षा रिपोर्ट सभी सदस्य कार्यालयों के साथ साझा की। जिन कुछेक कार्यालयों के रिपोर्ट नहीं प्राप्त हो रही है उनको समय से भिजवाना सुनिश्चित करवाने के लिए निवेदन किया ।

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं:-

1. श्री श्याम कुमार, उप लेखा नियंत्रक, कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, उत्तरी कमान, नरवाल पाई, सतवारी, जम्मू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि "हमारे कार्यालय में हिन्दी की ई-पत्रिका 'अनुभूति' का प्रकाशन किया गया है तथा नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों भी अपने-अपने कार्यालय के माध्यम से ई-पत्रिका का प्रकाशन कर सकते हैं।" उन्होंने ई-पत्रिका 'अनुभूति' की प्रति को भी दिखाया और बताया कि उनके कार्यालय कि वेबसाइट पर इस ई-पत्रिका को डाउनलोड भी किया जा सकता है ।
2. श्री नरेन्द्र सिंह, उप निदेशक (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली) ने पहले डॉ. डी. श्रीनिवास रेड्डी, नये अध्यक्ष, नराकास, जम्मू कार्यालय का धन्यवाद व स्वागत किया। उन्होंने श्री रजनीश आनन्द व अन्य सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों का ऑनलाइन बैठक में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद और अभिनन्दन किया। उन्होंने कहा कि "सभी सदस्य कार्यालय कोविड-18 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/मास एवं हिन्दी कार्यशालाओं का समय-समय पर आयोजित करते हुए तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरकर ऑनलाइन भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली), तृतीय तल, त्रिकुटा-॥, आर.के.पुरम, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 को आवश्यक रूप से ऑनलाइन भेजें तथा इन्हें अपने मुख्य कार्यालय को भी भिजवाए और उसकी एक प्रति नराकास, कार्यालय को भेजें।" उन्होंने आगे बताया कि धारा 3(3) का अनुपालन करना अनिवार्य है। धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले बिन्दुओं को हिन्दी/अंग्रेजी में जारी राजभाषा अधिनियम 1963 कि धारा 3(3) में उल्लिखित कागजात जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषी रूप में, द्विभाषी जारी करें। हिन्दी पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के

संजय

लिए भी कहा तथा सभी सदस्य कार्यालय राकास की बैठक समय-समय पर जरूर करवाते रहे। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि एक उप-समिति का गठन किया जाए जो सभी सदस्य कार्यालयों में बेहतर समन्वय बनाने का कार्य करें। यह उप-समिति यह भी सुनिश्चित करे कि -

(क) सभी सदस्य कार्यालय राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसका उचित अनुपालन हो।

(ख) साल में नराकास की तरफ से प्रकाशित पत्रिका 'ज्ञानवार्ता' के दो अंक प्रकाशित हो। यह अंक ई-पत्रिका के रूप में राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही हों।

(ग) समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सभी सदस्य कार्यालयों द्वारा सुनिश्चित करवाया जाए।

(घ) यूनिकोड पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करवाना ताकि सभी अधिकारी/कर्मचारी सुचारु रूप से यूनिकोड से कार्य कर सकें।

अन्त में श्री मेहरा जी ने एक बार फिर से सभी का ऑनलाइन जुड़ने के लिए धन्यवाद किया।

3. श्री संतोष कुमार, सहायक निदेशक(टं/आ) से सही सम्पर्क न होने के कारण वह अपनी बात नहीं रख सके। उनकी तरफ से सदस्य-सचिव, नराकास ने सभी सदस्य कार्यालयों को फरवरी माह में होने वाले आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया तथा निवेदन किया कि सभी कार्यालय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवश्य ऑनलाइन भाग लें।

संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री रजनीश आनन्द जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में नराकास के सभी सदस्य केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखों व प्रतिनिधियों, श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का संस्थान एवं नराकास मंच की ओर से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह बैठक ऑनलाइन की जा रही है तथा इसी के चलते इस बार स्मृति-चिन्ह एवं प्रमाण-पत्र भी प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि नराकास की वार्षिक गृह पत्रिका 'ज्ञानवार्ता' के दसवाँ अंक के प्रकाशन के लिए उचित मात्रा में शोध लेख/कविता/कहानियाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण इस बार पत्रिका का प्रकाशन नहीं हो सका है। भविष्य में यह नराकास गृह पत्रिका राजभाषा विभाग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजिटल प्रारूप में तैयार की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों से निवेदन किया कि वह हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य गतिविधियों की सूचना समय पर राजभाषा तथा नराकास, जम्मू कार्यालय को समय-समय पर भिजवाना सुनिश्चित करते रहें।

अन्त में संस्थान के नियंत्रक प्रशासन, श्री पंकज बहादुर ने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बैठक में सर्वप्रथम सभी जम्मू-कश्मीर के निवासियों को बधाई देते हुए बताया कि केन्द्र शासित प्रदेश बनने के

उपरान्त हिन्दी राजभाषा भी इस राज्य ही राजभाषा बन गई है। इस सन्दर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या अब जम्मू व कश्मीर 'ग' क्षेत्र के बजाय 'क' या 'ख' क्षेत्र में तो नहीं माना जाएगा ? उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा द्वारा प्रस्तावित सब-समिति के सदस्य फोन पर अथवा डिजिटल माध्यम से आपस में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए श्री पंकज बहादुर ने श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा जी व श्री संतोष कुमार का ऑनलाइन उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद किया। श्री रजनीश आनन्द, श्री संजय शर्मा एवं उपस्थित नराकास, जम्मू के सभी केन्द्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों का आभार सहित धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में सब ठीक रहा तो सभी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे।

संजय

संजय शर्मा

सदस्य-सचिव, नराकास, जम्मू

(रजनीश)

रजनीश आनन्द

कृते अध्यक्ष

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू